भारत सरकार

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1881

दिनांक 09 **दिसंबर**, 2021

ग्रामीण क्षेत्रों में सीएनजी/पीएनजी सेवाएं

1881. **श्री कुलदीप राय शर्मा**:
श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे:
डॉ. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस.:
डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे:
डॉ. सुभाष रामराव भामरे:
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) तमिलनाडु में सीएनजी/पीएनजी नेटवर्क के अंतर्गत शामिल किए गए क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का तमिलनाडु और महाराष्ट्र सहित देश के ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में सीएनजी/पीएनजी सेवाओं को बढ़ावा देने और उन्हें सशक्त करने की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित सीएनजी/पीएनजी स्टेशनों की संख्या कितनी है और इस संबंध में चिह्नित भूमि और की गई आवश्यक कार्रवाई का ब्यौरा क्या है और तमिलनाडु और महाराष्ट्र सहित देश में इन स्टेशनों के कब तक शुरू होने की संभावना है;

(घ) तमिलनाडु और महाराष्ट्र सहित देश में प्राकृतिक गैस कवरेज में सुधार करने में आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सीएनजी की वर्तमान उत्पादन क्षमता देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(च) देश में संपीडित प्राकृतिक गैस सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री

(**श्री रामेश्वर तेली**)

(क): सीएनजी स्टेशनों की स्थापना और पीएनजी कनेक्शन प्रदान करना नगर गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्क के विकास का हिस्सा है और इसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) द्वारा प्राधिकृत कंपनियों द्वारा किया जाता है। आज की स्थिति के अनुसार तमिलनाडु के 14 जिलों को

कवर करते हुए 9 भौगोलिक क्षेत्रों (जीएज) को तमिलनाडु में सीजीडी नेटवर्क के विकास के लिए पीएनजीआरबी द्वारा अधिकृत किया गया है। जीएज की सूची **अनुलग्नक** में दी गई है।

(ख) से (घ): 10वें सीजीडी बोली दौर के बाद, 27 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 402 जिलों में फैले देश के लगभग 53% क्षेत्र और 70% आबादी सीजीडी नेटवर्क के तहत कवर की गई है। देश भर में सीजीडी नेटवर्क को विकसित करने के उद्देश्य से, पीएनजीआरबी ने दिनांक 17.09.2021 को 11वें बोली दौर की शुरुआत की, जिसमें तमिलनाडु राज्य में 9 जीएज और महाराष्ट्र राज्य में 8 जीएज सहित 65 और जीएज के प्राधिकार हेतु बोलियां आमंत्रित की गईं हैं।

(ड.) और (च) पाइप्ड प्राकृतिक गैस (पीएनजी) (घरेलू) और संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) (परिवहन) क्षेत्रों के लिए सीजीडी कंपनियों को किए जाने वाला घरेलू गैस आवंटन नो-कट श्रेणी के अंतर्गत है। तदनुसार, परिवहन क्षेत्र की सीएनजी आवश्यकता को सीजीडी कंपनियों को आवंटित प्रशासित मूल्य निर्धारण व्यवस्था (एपीएम)/गैर-प्रशासित मूल्य निर्धारण व्यवस्था (एनएपीएम) गैस से पूरा किया जा रहा है। एक आवंटन चक्र में सीजीडी कंपनियों द्वारा सीएनजी (परिहवन) क्षेत्र को आपूर्ति के लिए प्राकृतिक गैस की कोई भी अतिरिक्त मांग सीजीडी कंपनियों से प्राप्त पुन:गैसीकृत तरलीकृत प्राकृतिक गैस (आरएलएनजी) से पूरी की जाती है।

****

अनुलग्नक

'ग्रामीण क्षेत्रों में सीएनजी/पीएनजी सेवाएं' के बारे में दिनांक 09 दिसम्बर, 2021 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1881 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

ग्रामीण क्षेत्रों में सीएनजी/पीएनजी सेवाएं

क्रमांक	**तमिलनाडु में प्राधिकृत जीएज**	**प्राधिकृत कंमनी**
1	कराईकल और नागपट्टिनम जिले	टोरेंट गैस प्राइवेट लिमिटेड
2	कांचीपुरम जिला	एजीएंडपी एलएनजी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड और अटलांटिक गल्फ एंड पैसिफिक परिसंघ
3	चैन्ने और तिरुवल्लुर जिले	टोरेंट गैस प्राइवेट लिमिटेड
4	कोयंबटूर जिला	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
5	कुड्डालोर, नागापत्तनम और तिरुवरुर जिले	अडानी गैस लिमिटेड
6	रामनाथपुरम जिला	एजीपी सीजीडी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
7	सलेम जिला	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
8	तिरुपुर जिला	अडानी गैस लिमिटेड
9	चित्तूर, कोलार और वेल्लोर जिले	एजीएंडपी एलएनजी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड और अटलांटिक गल्फ एंड पैसिफिक परिसंघ